


कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्रांक 1109 /23-1 दिनांक, कानपुर देहात, 18 अक्टूबर 2016

कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात में निम्नोच्च घोषित टाटा सूनों विक्टा यू0पी0-77 जी0-0192 सार्वजनिक नीलामी दिनांक 28.10.2016 को पूर्वाह्न 12:00 बजे जिला स्तरीय गठित समिति के समझ जिलाधिकारी कार्यालय परिसर माती मुख्यालय कानपुर देहात में की जायेगी। इच्छुक क्रेतागण नियत तिथि व समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग लें।

नीलामी नोटिस


1. उपरोक्त घोषित वाहन टाटा सूनों विक्टा यू0पी0-77 जी0-0192 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात के कार्यालय परिसर माती मुख्यालय में खड़ी है।
2. उपरोक्त वाहन नीलामी से पूर्व देखा जा सकता है। वाहन जिस हालत में है उसी हालत में उसका विक्रय नीलामी द्वारा किया जायेगा, बोली बोलने वाले की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वह बोली बोलने से पहले उक्त वाहन का भली-भाँति निरीक्षण कर लें।
3. नीलामी के लिए गठित समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी प्रकार का कारण बताये अस्वीकार कर दें। अन्तिम उच्चतम बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व रू0 1000/- (रू0 एक हजार) जमानत की धनराशि जमा करनी होगी, जो बाद में वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के अन्त में सर्वोच्च बोलीदाता को बोली की आधी धनराशि तत्काल जमा करनी होगी तथा बोली स्वीकृत होने के बाद शेष धनराशि के साथ ही साथ नियमानुसार, बिक्रीकर, आदि देयकों को उसी समय जमा करना अनिवार्य होगा।
6. बोली अन्तिम रूप से स्वीकृत होने के पश्चात् उसकी सूचना प्राप्ति के सात दिन के अन्दर बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि तथा अन्य देयों की धनराशि जमा कर वाहन उठा लेना अनिवार्य होगा।
7. बोली स्वीकृत करने वाले क्षेत्राधिकार मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को है।
8. नीलामी स्वीकृत होने के पूर्व किसी भी स्तर पर पूर्व सूचना दिये बगैर इस नीलाम को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।


प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पत्रांक 1109 /अ समदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को उनके पत्रांक 1487/15-1 दिनांक 17.10.2016 के अनुमोदन के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात को जिलाधिकारी कानपुर देहात के पत्रांक 150/नाजिर-का0दे0-वाहन नीलामी/2016 दिनांक 15.06.2016 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
7. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात जिलाधिकारी कानपुर देहात के पत्रांक 150/नाजिर-का0दे0-वाहन नीलामी/2016 दिनांक 15.06.2016 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
8. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात।
9. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात को दो-दो प्रतियों में वृहद प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
10. श्री मंगलेश्वर गुप्ता सहा0सां0अधि0 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि इस नीलाम की सूचना को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड।


प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात